

फाइल सं. एमओईएस-29/82-84/2013-आरटीआई

भारत सरकार

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, आईएमडी परिसर,
पृथ्वी भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली
दिनांक 8 अक्टूबर, 2013

सेवा में,

श्री शंकर प्रसाद, सहायक मौसम-वैज्ञानिक, ग्रेड-II,
भारत मौसम-विज्ञान विभाग, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003

विषय – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री शंकर प्रसाद, सहायक मौसम-वैज्ञानिक, ग्रेड-II
भारत मौसम-विज्ञान विभाग, लोदी रोड, नई दिल्ली-11003 द्वारा माँगी गई सूचना।

कृपया उपर्युक्त विषय पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 11/09/2013 की
आपकी अपील (डाक आदेश सं. 11एफ 107828) का संदर्भ लें।

2. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नई दिल्ली के संबंधित अधिकारी द्वारा दिनांक 04/10/2013 के एमओईएस के
आईडी नोट सं. एमओईएस/29/25/2013- स्था. के ज़रिये उपलब्ध कराया गया जवाब आपके सूचनार्थ
संलग्न है।
3. यदि आप अधोहस्ताक्षरी से कोई अन्य स्पष्टीकरण चाहते हैं तो कृपया अधोहस्ताक्षरी को लिख सकते हैं।
4. यदि आप इस जवाब के विरुद्ध अपील करना चाहते हैं तो आप इस पत्र के प्राप्त होने से 30 दिनों के भीतर
उप रजिस्ट्रार, केन्द्रीय सूचना आयोग, अगस्त क्रांति भवन, कमरा न.308, दूसरा तल, भीकाजी कामा प्लेस, नई
दिल्ली-110066 को अपील कर सकते हैं।

भवदीय

अनिल कुमार मदन

(ए.के.मदान)

उप सचिव (सतर्कता) तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
टेलीफोन न.01124669515

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. डॉ. एम. सुधाकर, पारदर्शिता अधिकारी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रधान निजी सचिव।
3. प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी (श्री कृष्णन) को इस जवाब को वेब पर अपलोड करने हेतु।
4. ✓ उप सचिव (सतर्कता) के निजी सचिव

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

स्थापना अनुभाग

विषय:- श्री शंकर प्रसाद, सहायक मौसम-वैज्ञानिक ग्रेड-II, भारत मौसम-विज्ञान विभाग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11.09.2013 को दाखिल की गई अपील।

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी कृपया उपर्युक्त विषय पर अपनी डायरी सं. 55/डीएस (वीआईजी) दिनांकित 13.09.2013 (प्रतिलिपि अनुलग्नकों सहित संलग्न) का संदर्भ लें।

2. आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 23.07.2013 (डाक आदेश सं. 11 एफ 107828) के जरिये मांगी गई सूचना के संबंध में फाइल में उपलब्ध तथ्यात्मक सूचना आवेदक को उपलब्ध करा दी गई है।

3. इसके अतिरिक्त, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन-पत्र दिनांक 23.07.2013 (डाक आदेश सं. 11 एफ 71094) के जरिये मांगी गई सूचना निम्नानुसार है:-

बिंदु सं. 1	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यह जानकारी देने की कृपा करें कि डी.ओ.पी.टी आदेश संख्या: 36012/45/2005-स्था. (आरक्षण) दिनांक 10.08.2010 के संबंध में पंजाब उच्च न्यायालय ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को कोई आदेश दिया है तो उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की कृपा करें।	मंत्रालय को इस संबंध में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। आईएमडी से भी सूचना मांगी जा सकती है।
बिंदु सं. 2	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यह जानकारी देने की कृपा करें कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय व उसके अन्तर्गत भारत मौसम विज्ञान विभाग में डी.ओ.पी.टी. के नियम तथा केंद्र सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के आधार पर कार्यालय चलता है या पंजाब राज्य सरकार या अन्य राज्य सरकारों के नियमों के आधार पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय व उसके अन्तर्गत भारत मौसम विज्ञान विभाग कार्य करता है। कृपया स्पष्ट रूप में जानकारी दें।	किसी प्रकार की भौतिक सूचना नहीं मांगी गई है।
बिंदु सं. 3	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यह जानकारी देने की कृपा करें कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय व उसके अन्तर्गत भारत मौसम विज्ञान विभाग केंद्र सरकार के नियमों के आधार पर कार्य करता है या राज्य सरकार के नियमों के आधार पर कार्य करता है।	किसी प्रकार की भौतिक सूचना नहीं मांगी गई है।
बिंदु सं. 4	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यह जानकारी देने की कृपा करें कि डी.ओ.पी.टी आदेश संख्या: 36012/45/2005-स्था. (आरक्षण) दिनांक 10.08.2010 के संबंध में पंजाब उच्च न्यायालय ने जो रोक लगाई है तो क्या डी.ओ.पी.टी. मंत्रालय ने इस संबंध में कोई लिखित रूप में इसको रोक लगाने का गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराएँ।	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को डीओपी एण्ड टी द्वारा ऐसे आदेश जारी किए जाने की जानकारी नहीं है। आवेदक को डीओपी एण्ड टी से सूचना मांगने की सलाह दी जा सकती है क्योंकि डीओपी एण्ड टी इस मामले में तथा समस्त मंत्रालयों/विभागों को नीतिगत निर्णय जारी करने वाला नोडल विभाग है।

4. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से अनुरोध है कि अपीलार्थी को तदनुसार सूचित करें। इसे निदेशक (स्था.) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(कैलाश चन्द)

अवर सचिव, भारत सरकार

श्री बी.के. ठाकुर, वैज्ञानिक 'सी' तथा सीपीआईओ

एमओईएस आईडी नोट सं. एमओईएस/29/25/2013-स्था. दिनांक 4/10/2013